संख्या- 10/1610 ई-2/तेरह-2014- 90/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर,2014

विषय: मेसर्स ईस्टर इण्डिया लि0 साहिबाबाद, गाजियाबाद का वार्षिक कोटा 76.80 लाख ब0ली0 से बढ़ाकर 238.00 लाख ब0ली0 वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-57/दो-805ए (दो)/190 दिनांक 21 अगस्त, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें मेसर्स ईस्टर इण्डिया लि0 साहिबाबाद, गाजियाबाद का वार्षिक कोटा 76.80 लाख ब0ली0 से बढ़ाकर 238.00 लाख ब0ली0 वार्षिक किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2014 में की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स ईस्टर इण्डिया लि0 साहिबाबाद, गाजियाबाद को 33000 मी0टन प्रतिवर्ष इथाइल एसीटेट के निर्माण हेतु स्वीक़त विकृत सुरा का कोटा 76.80 लाख ब0ली0 से बढ़ाकर 238.00 लाख ब0ली0 वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति एतदद्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित अधिनियम/नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी तथा इकाई इस सम्बन्ध में श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था/प्रतिबन्धों/शर्तों/पूर्वानुमति प्राप्त करने का पालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक अनापत्ति/पूर्वानुमति प्राप्त कर विस्तारित क्षमता का उपयोग करेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

(सुनील कुमार पाण्डेय)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in